उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 अंक 12 16-30 जून 2023 ₹ 20/-

समान नागरिक संहिता पर मचा बवाल

- प्रधानमंत्री मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान
- फ्रांस में भीषण दंगों से भारी नुकसान
- तुर्किये का नया संविधान बनाने की घोषणा
- इस्लाम में लिव-इन रिलेशनशिप हराम

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष: 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

समान नागरिक संहिता पर मचा बवाल 04
प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा उर्दू अखबारों की नजर में 08
प्रधानमंत्री मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान 14
इस्लाम में लिव-इन रिलेशनशिप हराम 16
मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने का अभियान 17
पॉपुलर फ्रंट से संबंधित लोगों के घरों पर छापे 18

विश्व

फ्रांस में एक मुस्लिम किशोर की मौत के बाद भीषण दंगे 19
यूगांडा के स्कूल पर इस्लामिक आतंकियों का हमला 21
सोमालिया विधानसभा के अंदर मारपीट में 26 मरे 21
यूनान में नाव दुर्घटना में 300 से अधिक पाकिस्तानी मरे 22
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के निशाने पर चीनी परियोजनाएं 22
अफगानिस्तान की सहायता राशि में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक अरब डॉलर की कटौती 24

पश्चिम एशिया

160 देशों के 25 लाख से अधिक लोगों की हज की रस्म में भागीदारी 25
तुर्किये का नया संविधान बनाने की घोषणा 26
वेस्ट बैंक की यहूदी बस्तियों में विस्तार की इजरायली योजना 27
ईरान और सऊदी अरब के बढ़ते संबंधों से दुश्मन बेचैन 28
चीन द्वारा स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन 29
सऊदी अरब की भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना 30

सारांश

देश में समान नागरिक संहिता की चर्चा एक बार फिर से जोरों पर है। 2018 में विधि आयोग ने जनता की राय लेने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वर्तमान समय में देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विधि आयोग ने तमाम धर्मों से संबंधित पर्सनल लॉ में बदलाव का सुझाव जरूर दिया था। अब 22वें विधि आयोग ने कहा है कि बदले हुए हालात में समान नागरिक संहिता को लागू करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करना जरूरी है। विधि आयोग ने इस मुद्दे में दिलचस्पी रखने वाले संगठनों और नेताओं से एक महीने के भीतर अपनी राय मांगी है। सबसे खास बात यह है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वे समान नागरिक संहिता का समर्थन करें।

हालांकि, इसमें संदेह नहीं है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का सरकार को निर्देश दिया गया है। मगर आज तक इस विवादित मुद्दे को छूने की किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं हुई है। भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग खुलकर इसका विरोध करता आ रहा है। उनका तर्क है कि शरिया कानून कुरान और हदीस पर आधारित है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अधिकांश मुस्लिम नेताओं ने समान नागरिक संहिता को संविधान की भावना के विपरीत बताया है और कहा है कि संविधान में देश के सभी नागरिकों को अपनी आस्था और पसंद के अनुसार जीवन गुजारने की जो आजादी दी गई है, यह उसके खिलाफ है। खास बात यह है कि इस बार अधिकांश मुस्लिम संगठनों ने इस बात पर जोर दिया है कि वे समान नागरिक संहिता का विरोध करने के लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे, बल्कि वे संविधान विशेषज्ञों और विधिवेत्ताओं के सहयोग से विधि आयोग को तर्कपूर्ण ढंग से जवाब देंगे।

जहां तक राजनीतिक दलों का संबंध है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। हालांकि, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया है। समाचारपत्रों का कहना है कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का जो वायदा किया था, उसे मोदी सरकार पूरा करेगी। जबकि मुस्लिम नेताओं का यह आरोप है कि मोदी सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाने पर तुली हुई है, क्योंकि इससे बहुसंख्यक समाज का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में होगा।

खास बात यह है कि सिर्फ पांच देशों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में शरिया कानून लागू नहीं है। फिर भी भारतीय मुस्लिम नेता देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर 1400 साल पुराने इस्लामिक कानून को जबरन मुस्लिम समाज पर लादने में उनकी इतनी दिलचस्पी क्यों है?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हाल का अमेरिका दौरा उपलब्धियों भरा माना जा रहा है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। हालांकि, वे इससे पूर्व भी छह बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। मगर इस बार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनके इस दौरे को राजकीय दौरे का दर्जा दिया है। इसी कारण उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। उनके सम्मान में आयोजित राजकीय रात्रि भोज में अमेरिका के चुनिंदा 425 प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया। जहां तक रक्षा मामलों की बात है, तो अभी तक भारत रक्षा उपकरणों के मामले में रूस पर ही निर्भर था। मगर अब अमेरिका के साथ भी अस्त्र-शस्त्रों की सप्लाई के क्षेत्र में सहयोग शुरू हो गया है। भारत ने अमेरिकी ड्रोन खरीदने और भारत में अमेरिका के सहयोग से जेट इंजनों के निर्माण शुरू करने के बारे में एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते हुए संबंधों के कारण चीन के विस्तारवादी इरादों पर भी लगाम लगाने में सफलता मिलेगी।

फ्रांस में अल्जीरियाई मूल के एक 17 वर्षीय मुस्लिम किशोर नाहेल एम. की पुलिस गोलीबारी में मौत के खिलाफ पिछले एक सप्ताह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरा देश दंगों की आग में जल रहा है। प्रदर्शनकारियों की आक्रामकता का कारण यह है कि फ्रांस की दस प्रतिशत से अधिक जनसंख्या इस्लाम को मानती है। क्योंकि अफ्रीका और अन्य उपमहाद्वीपों में जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, उनके अधिकांश निवासी इस्लाम के अनुयायी थे। जब उन्हें फ्रांस की गुलामी से मुक्ति मिली, तो उन्हें यह सुविधा दी गई कि वे बिना पासपोर्ट के फ्रांस में दाखिल होकर वहां के नागरिक के रूप में रह सकते हैं और इसी वजह से यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा इस्लामिक अतिवाद फ्रांस के भीतर ही पनप रहा है।

समान नागरिक संहिता पर मचा बवाल

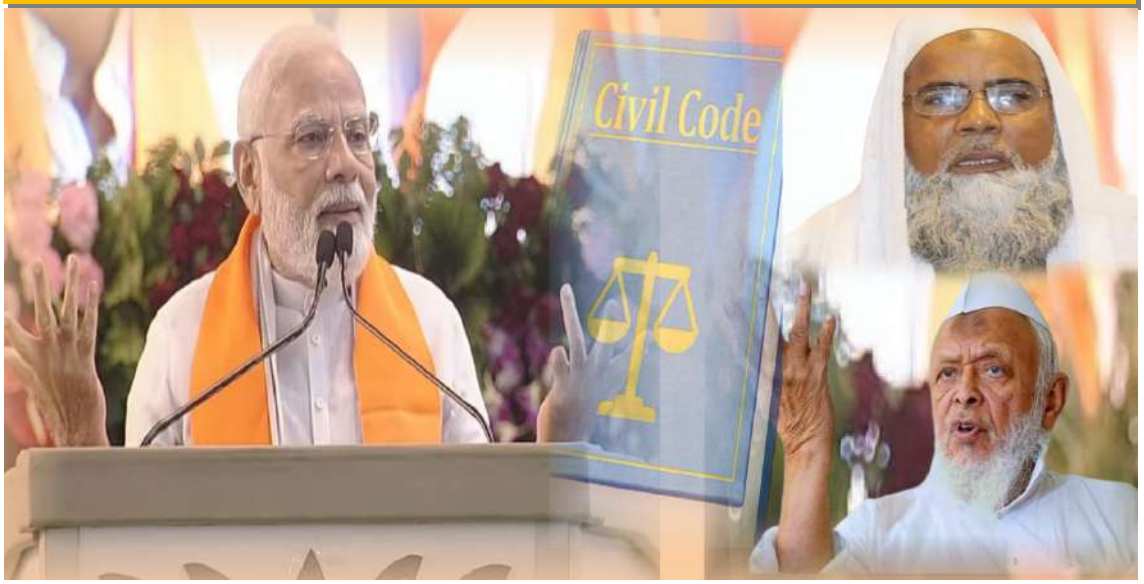

सियासत (15 जून) के अनुसार विधि आयोग ने विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठनों व आम लोगों को समान नागरिक संहिता के बारे में अपनी राय 30 दिनों के अंदर आयोग को देने के लिए कहा है। राजनीतिक तौर पर संवेदनशील समान नागरिक संहिता के बारे में विधि आयोग इससे पहले भी दो बार जनता और संबंधित पक्षों से राय मांग चुका है। विधि आयोग ने इससे पूर्व 2016 में भी लोगों से समान नागरिक संहिता के बारे में अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। आयोग ने तीन तलाक मुद्दे को छोड़कर बाकी मुद्दों पर जवाब मांगा था, जिसके तहत 16 प्रश्न पूछे गए थे। विधि आयोग ने बहु विवाह, निकाह, हलाला आदि मामले में कोई सुझाव नहीं दिया था। आयोग ने कहा था कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मगर नाजायज बच्चों को संपत्ति में अधिकार दिए जाने के लिए विशेष कानून बनाने की सिफारिश की थी।

विधि आयोग ने देश के तीन प्रमुख धर्मों हिंदू, मुस्लिम और ईसाई से संबंधित पर्सनल लॉ में बदलाव के लिए पक्षकारों से राय मांगी थी, मगर इसके साथ ही यह भी कहा था कि समान नागरिक संहिता इस समय जरूरी नहीं है। 31 अगस्त 2018 को 21वें विधि आयोग ने सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में बदलाव का सुझाव दिया था और कहा था कि पारिवारिक कानून में तमाम जटिलताएं हैं। ऐसे में कानूनों में बदलाव बेहद जरूरी है। मगर वर्तमान समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है।

साल 2018 में विधि आयोग ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के बारे में विचार करने की तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष पत्र दायर किया था, जिसमें यह कहा गया था कि फिलहाल समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। आयोग ने कहा था कि इस देश में विभिन्न धर्मों को मानने वालों के लिए कई पर्सनल लॉ हैं और वे इस देश के नागरिकों को अपने पसंद के धर्म में जीवन व्यतीत करने की आजादी देते हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में विधि

आयोग ने महिलाओं को न्याय दिलाने के नाम पर बहु पत्नी प्रथा और तीन तालाक का उल्लेख करते हुए सरकार को यह सलाह दी थी कि विभिन्न पर्सनल लॉ में जो भेदभाव वाले नियम हैं, उनको बदलने के लिए कानून बनाए जाएं। इसके साथ ही अन्य धर्मों, जिनमें अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ की संख्या अधिक हैं, में भी संशोधन करने की सिफारिश की गई थी। आयोग ने कहा था कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाए। आयोग ने अलग-अलग धर्मों को देश की धर्मनिरपेक्षता की पहचान बताया था और कहा था कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण और उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है। मगर इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा था कि पर्सनल लॉ के बावजूद विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विवाह की उम्र के बारे में समान कानून बनाए जाने चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आयोग ने तीन तलाक के बारे में भी कानून बनाने का सुझाव देते हुए कहा था कि इससे महिलाओं को उनके जायज अधिकार मिल सकेंगे। इसलिए धर्म से संबंधित पर्सनल लॉ में कोई भी छेड़छाड़ किए बिना समानता प्रदान करने वाले कानूनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सालार (28 जून) के अनुसार भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिम समाज और देश के बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वे देश भर में समान नागरिक संहिता को लाने का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए बार-बार सुझाव दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक ही परिवार के एक व्यक्ति के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग कानून कैसे हो सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि कौन-कौन सी पार्टियां उन्हें समान नागरिक संहिता का विरोध करने के लिए उकसा

रही हैं? इसके साथ ही उन्होंने तीन तलाक का विरोध करने वालों को भी अपना निशाना बनाया और कहा कि इससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। लेकिन वोट बैंक के भूखे कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

इंकलाब (28 जून) के अनुसार आम आदमी पार्टी ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा है कि सरकार को राजनीतिक दलों और गैर राजनीतिक संगठनों से विचार-विमर्श करने के बाद ही इस संदर्भ में कोई फैसला करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 44 भी समान नागरिक संहिता का समर्थन करता है। मगर सरकार को यह कानून तभी लाना चाहिए जब सभी पक्ष इसके लिए सहमत हों।

शिरोमणि अकाली दल ने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए कहा है कि यह संविधान में अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता की भावना के खिलाफ है। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि अकाली दल ने हमेशा देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध किया है और विधि आयोग व संसद में भी इसका वह विरोध करेगी।

अखबार-ए-मशरिक (28 जून) के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने समान नागरिक संहिता को बेवक्त की रागिनी करार दिया है और कहा है कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक हिंसा पर काबू पाने की बजाय नए मुद्दे पैदा करके आग भड़का रही है।

अवधनामा (19 जून) के अनुसार जनता दल (यूनाइटेड) ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग को संविधान के विरुद्ध बताया है और उसे भाजपा के चुनावी हथकंडे की संज्ञा देते हुए कहा है कि भाजपा यह जानती है कि 2024 के चुनाव के लिए उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वह समान नागरिक संहिता के नाम पर देश में अशांति फैलाना चाहती है। भाजपा का लक्ष्य सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ना और वोटों का ध्रुवीकरण करना है।

सियासत (16 जून) के अनुसार कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता के बारे में विधि आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट का विरोध किया है और कहा है कि यह प्रेस नोट भाजपा के राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जारी किया गया है। इसलिए आयोग को यह समझना चाहिए कि राष्ट्रहित भाजपा के हित से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस नोट में कहा है कि भारत के 22वें विधि आयोग ने 14 जून को एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह विचार व्यक्त किया है कि बदले हुए हालात में समान नागरिक संहिता पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इसलिए विधि आयोग ने इसके बारे में सभी संबंधित पक्षों को एक महीने के अंदर अपनी-अपनी राय से आयोग को अवगत कराने का आग्रह किया है। रमेश ने कहा कि इससे पूर्व 21वें विधि आयोग ने इस मुद्दे का विस्तृत अध्ययन करने के बाद यह राय जाहिर की थी कि देश को इस समय समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। ऐसे में इस मामले को हवा देने की कोशिश मोदी सरकार के ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने और सरकार की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने का एक प्रयास है।

सियासत (19 जून) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि हम समान नागरिक संहिता का जोरदार विरोध करेंगे। क्योंकि इसका लक्ष्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करना और उन्हें एक दूसरे से अलग करना है।

इत्तेमाद (24 जून) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक आपातकालीन अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के बयान का विरोध किया गया और कहा गया कि हम समान नागरिक संहिता के खिलाफ हैं और इसका विरोध करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता से न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी पारसी और आदिवासी भी प्रभावित होंगे। यह संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों से अनुच्छेद 44 को बाहर निकाल देना चाहिए, जिसमें देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही गई है।

सालार (29 जून) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद

सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि मुसलमान समान नागरिक संहिता का विरोध करेंगे। क्योंकि यह मिल्लत के लिए अस्वीकार्य और देश के लिए हानिकारक है। महात्मा गांधी ने गोलमेज कांफ्रेंस में यह आश्वासन दिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को किसी भी कानून द्वारा नहीं छेड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के विख्यात नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए कहा था कि मुसलमान इसे कयामत तक नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे हिंदुस्तान से मुस्लिम संस्कृति और मुस्लिम पहचान समाप्त हो जाएगी। 1935 में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट पास हुआ, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ को संविधान का हिस्सा बना दिया गया। फिर हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि बहुसंख्यक समाज द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया जाएगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (28 जून) के अनुसार इमारत-ए-शरिया ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वे एकजुट होकर समान नागरिक संहिता का विरोध करें।

सालार (19 जून) के अनुसार मुस्लिम चिंतक प्रो. अख्तरुल वासे ने कहा है कि इस मुद्दे पर मुसलमानों को भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए, बल्कि विधि आयोग को तर्कपूर्ण ढंग से इसके खिलाफ जवाब देना चाहिए और मुसलमानों को इस विषय पर किसी टीवी चैनल की चर्चा में भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए।

सालार (20 जून) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि देश में वैचारिक युद्ध हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नहीं, बल्कि धर्म को मानने वाले और नास्तिकों के बीच है। यह युद्ध इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के भी खिलाफ है। रहमानी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का विरोध करने के बारे में मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों द्वारा बोर्ड के इस संदेश को आम मुसलमानों तक पहुंचाया जाना चाहिए।

सालार (21 जून) के अनुसार मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने एक अन्य बयान में कहा है कि मुसलमान कलमा, नमाज, रोजा, हज और जकात के बारे में शरीयत के निर्देशों का पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उन्हें सामाजिक मुद्दों जैसे निकाह, तलाक, खुला, इद्दत, विरासत आदि के बारे में भी शरीयत के निर्देशों का पालन करना चाहिए। क्योंकि इनका संबंध कुरान और हदीस से है और यह इस्लाम के दीन का बुनियादी हिस्सा है। सरकार जानबूझकर समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहती है, जो कि शरीयत के कानूनों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विधि आयोग को तर्कपूर्ण ढंग से जवाब देने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानूनी विशेषज्ञों और विधिवेत्ताओं की राय से अपना जवाब तैयार कर रहा है।

सालार (17 जून) ने अपने संपादकीय में समान नागरिक संहिता की आलोचना करते हुए मुसलमानों से अनुरोध किया है कि वे इस मुद्दे पर सब्र से काम लें और अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए विधि आयोग को इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराएं। विधि आयोग को यह जान लेना चाहिए कि बहुधार्मिक देश भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव भी है। अगर मुसलमान

सड़कों पर उतरकर समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं, तो इससे भाजपा को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। पांच साल पहले 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस समय देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि समान नागरिक संहिता का मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों का है, जिनमें मुसलमानों के अतिरिक्त सिख, ईसाई, बौद्ध जैन आदि शामिल हैं। इन सबके रस्मो-रिवाज अलग-अलग हैं। संविधान ने देश के हर वर्ग को धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्रदान की है। कोई इनके संवैधानिक अधिकारों को छीन नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका कानूनन विरोध किया जाना चाहिए। एक विशेष पार्टी की राज्य सरकारों ने भी वोट बैंक को पाने के लिए समान नागरिक संहिता का शोशा छोड़ा है।

इत्तेमाद (19 जून) ने अपने संपादकीय में समान नागरिक संहिता को भाजपा का अंतिम हथियार बताया है और कहा है कि भाजपा ने 2014 और 2019 के आम चुनाव से पूर्व चुनावी घोषणापत्र में जिन विवादित मुद्दों पर कानून लाने का वायदा किया था उसे पूरा कर लिया है, जिनमें राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 की समाप्ति, तीन तलाक पर प्रतिबंध शामिल हैं। अब केवल एक ही विवादित मुद्दा समान नागरिक संहिता बचा है। भगवा जमात के लिए यह मुद्दा कितना महत्त्वपूर्ण है उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जनसंघ से लेकर भाजपा तक ने हमेशा देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात की है। भाजपा पिछले कई वर्षों से देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वायदा करती आ रही है और इस संबंध में उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में इसे लागू करने की रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है। समाचारपत्र ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को लागू करना देश के संविधान का खुला उल्लंघन है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में दी गई धार्मिक आजादी के भी खिलाफ है।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 जून) में प्रकाशित एक लेख में मासूम मुरादाबादी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता भाजपा का चुनावी हथकंडा है। सरकार ने समान नागरिक संहिता पर चर्चा और विवाद का दरवाजा ऐसे समय में खोला है जब देश के पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर जल रहा है। वहां पर दो आदिवासी समूहों के बीच हुई खूनी जंग में अब तक 200 से अधिक बेगुनाह मारे जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा उर्दू अखबारों की नजर में

इंकलाब (25 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि खबरिया चैनलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका दौरे के हर क्षण को यादगार के तौर पर पेश किया है। कई लोग इसे मोदी की बहुत बड़ी उपलब्धि और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए गौरव के रूप में भी देखते हैं। लेकिन अमेरिका में बाइडेन और मोदी के बीच हुए वायदों, समझौतों और सौदों की पृष्ठभूमि में इस दौरे का विश्लेषण करने पर अमेरिकी लक्ष्य का अनुमान भी लगाया जा सकता है, जिसकी आड़ में बाइडेन ने एक

तीर से दो शिकार किए हैं। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी मीडिया का सामना करने से बचते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को चलाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जैसे नारों के जरिए हिंदुस्तानी जनता को खूब सुनहरे ख्वाब दिखाए, जिससे बाहर निकलने के लिए भारतीय जनता बिल्कुल भी तैयार नहीं है।

दूसरी ओर, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत, अतिवाद और हिंसा का वातावरण है। देश के अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पूर्व ही अमेरिका के 150 सांसदों ने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी नफरत और हिंसा की स्थिति पर राष्ट्रपति बाइडेन से नरेन्द्र मोदी से इस संबंध में सवाल पूछने का आग्रह किया था। अमेरिका के मानवाधिकार संगठन भी हिंदुस्तान में लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अनुचित व्यवहार के बारे में चिंता प्रकट करते रहे हैं। व्हाइट हाउस में बाइडेन और नरेन्द्र मोदी की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह प्रयास किया था कि मोदी को संवाददाता सम्मेलन में पेश न होना पड़े। लेकिन जब बात नहीं बनी, तो यह प्रतिबंध लगाया गया कि प्रेस कांफ्रेंस में नरेन्द्र मोदी से सिर्फ दो ही प्रश्न किए जा सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से ही मीडिया से बचते रहे हैं। यहां भी उनकी यही कोशिश थी कि उन्हें मीडिया का जवाब न देना पड़े।

इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीएनएन से बातचीत करते हुए कहा था कि अगर मुझे भारतीय प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिलता, तो मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाता कि भारत में अल्पसंख्यकों अधिकारों को संरक्षित नहीं किया जा रहा है और इस बात की संभावना है कि एक ऐसा समय आएगा, जब भारत के टुकड़े-टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। ओबामा के इस टिप्पणी पर भारत के दक्षिणपंथी संगठनों ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। प्रधानमंत्री जिस सवाल से बचना चाहते थे, वह सवाल महिला पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने आखिर उनसे कर ही डाला और पूछा कि हिंदुस्तान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानता है, लेकिन कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव किया है और अपने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश की है। आपकी सरकार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार लाने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठा रही है? इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबरीना की बातों को काटते हुए कहा कि मैं आपकी बातों से हैरान हूं। हम लोकतांत्रिक हैं और लोकतंत्र हमारी आत्मा है। लोकतंत्र हमारी रगों में दौड़ता है। हम लोकतंत्र में रहते हैं और सांस लेते हैं। अगर लोगों के पास मानवाधिकार नहीं होगा, तो उसे लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में जात, पात, आस्था, धर्म और लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव करने की संभावना ही नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि प्रधानमंत्री का अमेरिका

दौरा पूरा हो गया है। यह दौरा पूरे धूमधाम और भव्यता से पूरा हुआ। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के बारे में जो समझौते हुए हैं, उनके परिणाम भी काफी दूरगामी होंगे। इसके साथ ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मोदी को मुसलमानों से संबंधित नसीहत दे डाली। अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों के एक वर्ग ने मोदी के अभिभाषण का बहिष्कार किया और गुजरात के दंगों, उमर खालिद और संजीव भट्ट की रिहाई का मामला भी उठाया गया। हालांकि, मोदी के सलाहकारों ने गोदी मीडिया के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को सुपरमैन साबित करने का प्रयास किया। समाचारपत्र का कहना है कि चीन, हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों का संयुक्त शत्रु है। अगर हम मानवाधिकार संगठनों के ऐतराज को नजरअंदाज कर दें, तो मोटे तौर पर मोदी का अमेरिका दौरा सफल रहा है। समाचारपत्र का कहना है कि भारत अमेरिकी हथियारों का एक बहुत बड़ा खरीददार है। इससे अमेरिका की अस्त्र-शस्त्र बनाने वाली कंपनियां मोटे-मोटे ऑर्डर प्राप्त करती हैं और भारी मुनाफा कमाती हैं।

सियासत (3 जुलाई) ने अपने संपादकीय में अमेरिका और भारत के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंधों की चर्चा करते हुए इस दौरे को सफल बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि मोदी के अमेरिका दौरे के समापन के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के इस दौरे और वार्ता की वजह से अमेरिका भारत की वास्तविक हालात से अवगत हुआ है। उन्होंने भारत के बारे में पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा की टिप्पणी पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया।

गौरतलब है कि 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी अमेरिका के दौरे पर गए थे और उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। मगर यह पहला मौका है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दो बार संबोधित किया हो। जयशंकर ने दावा किया कि दुनिया नरेन्द्र मोदी को भरोसेमंद साथी मानती है और वह यह एहसास करती है कि मोदी जो कुछ भी कहते हैं भारत के लिए कहते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत ऐरिक गार्सेटी ने कहा है कि शांति और खुशहाली के संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका मिलकर काम करते रहेंगे।

इत्तेमाद (26 जून) ने अपने संपादकीय में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के एक भाषण को प्रकाशित करते हुए यह दावा किया है कि अमेरिका में मुसलमानों से संबंधित मोदी ने जो बयान दिया है वह आधारहीन और झूठा है। सत्तारूढ़ दल के 303 सांसदों और केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान नहीं है। क्या यह भेदभाव नहीं है? ओवैसी ने कहा कि बाबा आदम ने भारत में सबसे पहले कदम रखा था और यह हमारे पूर्वजों की भूमि है। यहां से हमें निकालने की किसी की हिम्मत नहीं है। देश में सांप्रदायिकता को रोकने की जरूरत है। जनता को लोकतंत्र के लिए युद्ध जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार दीन पर चलेंगे और मस्जिदों को आबाद रखेंगे। समान नागरिक संहिता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उसका डटकर मुकाबला करेंगे।

इत्तेमाद (26 जून) के संपादकीय में अमेरिकी मीडिया के उन लेखों का उल्लेख किया गया है, जिनमें मोदी के सत्ता में आने के बाद मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित संगठन, भारत में हिंदू आतंकवाद को प्रोत्साहन देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन पर चिंता व्यक्त की गई है।

हमारा समाज (24 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नौ वर्ष के शासनकाल में उनकी सभी हरकतें लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आती हैं। जबकि गोदी मीडिया मोदी के अमेरिका के दौरे को विश्व का

सबसे बड़ा कारनामा घोषित कर रहा है। यहां तक कि देश के अंदर राजनीति में भी मोदी की यही कामयाबी रही है कि उन्होंने अपनी कार्यशैली से बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज और खासकर मुसलमानों से बिल्कुल अलग-थलग कर दिया है। भाजपा सरकार पर यह निरंतर आरोप लग रहे हैं कि उसके शासनकाल में न केवल अल्पसंख्यकों पर जुल्म हुआ, बल्कि मानवाधिकारों का भी हनन किया गया है। देश की मीडिया को अपनी मुट्ठी में बंद करके वास्तविक खबरों को जनता के सामने आने से पूरी तरह से रोक दिया गया। अपने कार्यकाल में मोदी ने कभी भी मीडिया का सामना करने की हिम्मत नहीं की। जो एकाध इंटरव्यू दिए गए वे पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित थे। विश्व के मानवाधिकारों पर नजर रखने वाले दस संगठनों ने अपनी रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया है कि मोदी के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों का जमकर उत्पीड़न हुआ और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गईं। लेकिन प्रधानमंत्री इसका खंडन करते हुए यह कहते नजर आते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में कुछ हुआ ही नहीं और ऐसी तमाम रिपोर्टें और सर्वे भारत की छवि को बदनाम करने के लिए लाई गई हैं।

सहाफत (26 जून) ने अपने संपादकीय में मोदी के अमेरिका दौरे को स्वर्णिम और ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। मगर इसका लाभ क्या होता है, इसके बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी करना संभव नहीं है। इसका उत्तर तो आने वाला भविष्य ही देगा। कई अमेरिकी कंपनियां देश के आर्थिक विकास में सहयोग दे रही हैं। समाचारपत्र का कहना है कि हैरानी की बात यह है कि इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो हर सफलता का श्रेय सिर्फ मोदी के ही सिर पर बांध देता है। हालांकि, आज जो हो रहा है वह पुराने जमाने में भी हुआ करता था। भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ बनाना चाहिए।

इत्तेमाद (23 जून) ने अपने संपादकीय में यह स्वीकार किया है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। समाचारपत्र ने कहा कि अमेरिका और भारत के संबंध हमेशा बेहतर नहीं रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस भारत के लिए सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश के रूप में उभरा था। हालांकि, अमेरिकी मीडिया ने भारत में लोकतंत्र की बदहाली और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन पर हमेशा चिंता प्रकट की है। मोदी ऐसे समय में अमेरिका का दौरा कर रहे हैं जब भारत का चीन के साथ संबंध बहुत तनावपूर्ण है। इन हालात ने नई दिल्ली को इस बात के लिए विवश कर दिया है कि वह अब अमेरिका के साथ मिलकर काम करे, ताकि चीन के आक्रामक इरादों का मुकाबला किया जा सके।

समाचारपत्र का कहना है कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ मोर्चे को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंधों को सुधारा है। अब भारत के साथ अमेरिका का दोस्ताना संबंध भी चीन के विस्तारवादी रवैये पर लगाम लगाने का काम करेंगे। इस बात की भी संभावना है कि आधुनिक अस्त्र-शस्त्र के निर्माण के लिए आपस में दोनों देश सहयोग करेंगे। भारत में सैनिक विमानों के लिए एक अमेरिकी कंपनी

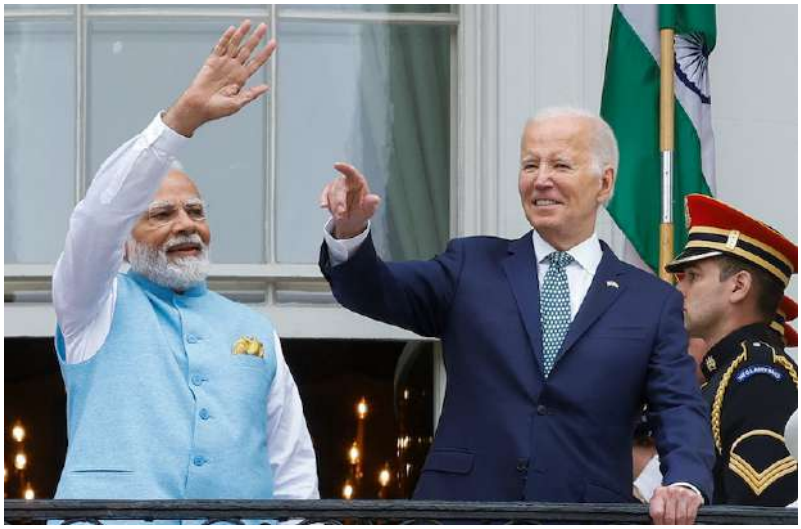

द्वारा इंजन तैयार करने का जो समझौता हुआ है, उसे दोनों देशों की मित्रता में मील का पत्थर कहा जा सकता है। अमेरिका का यह प्रयास है कि चीन का मुकाबला करने के लिए यह जरूरी है कि भारतीय सेना को आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से लैश किया जाए। कभी भारत अस्त्र-शस्त्रों की सप्लाई के लिए रूस पर निर्भर था। मगर अब वहां पर अस्त्र-शस्त्रों की सप्लाई कमजोर हो चुकी है। इसलिए भारत को अगर अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाना है तो उसे अमेरिका को रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए और अधिक महत्व देना होगा। यही कारण है कि 2014 से लेकर अब तक नरेन्द्र मोदी छह बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। हालांकि, इस बार के दौरे को पहले से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने अमेरिका स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में 180 देशों के साथ विश्व योग दिवस में भाग लिया है और अपने इस दौरे को बेमिसाल करार देते हुए खुद ही अपनी पीठ थपथपाई है। इसके साथ ही हिंदुस्तान के कुछ मीडिया वाले मोदी को अब तक के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री बताने और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। मगर ये मीडिया वाले उन खबरों को नहीं दिखा रहे हैं, जिनके कारण मोदी सरकार पूरे विश्व में बदनाम हो रही है। अमेरिका के कानून निर्माताओं ने भारत में बढ़ते हुए धार्मिक असहिष्णुता, अखबारों की आजादी पर प्रतिबंध और इंटरनेट पर नियंत्रण करने पर चिंता प्रकट की है और राष्ट्रपति बाइडेन से अनुरोध किया है कि वे मोदी के सामने भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मामला उठाएं।

समाचारपत्र का कहना है कि आजाद भारत के इतिहास में मोदी तीसरे ऐसे भारतीय नेता हैं, जिनके अमेरिका दौरे को राजकीय दौरे का दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व यह दर्जा 1963 में राष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन और 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्राप्त हुआ था। जाहिर है कि अगर आज के माहौल में अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को इतना महत्व देने का फैसला किया है, तो यह बिना कारण नहीं हे। इसमें कोई शक नहीं कि भारत और अमेरिका के संबंध नई बुलंदियों को छूने की ओर अग्रसर हैं। खासतौर पर अमेरिका द्वारा फाइटर जेट इंजन भारत में बनाने और भारत द्वारा अमेरिकी ड्रोन को खरीदने का जो समझौता हुआ है, इससे दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों के नए युग की शुरुआत होगी और अब भारत की रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। यूक्रेन युद्ध में भारत की आजाद भूमिका शुरू से ही अमेरिका को परेशान करती रही है। उसका यह प्रयास रहा है कि भारत खुलकर रूस की निंदा करे। अच्छी बात यह है कि दोनों देश एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए आपसी सहयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा पहलू चीन का है, जिसके बढ़ते हुए आक्रामक रूख अमेरिका और

भारत दोनों के लिए खतरा हैं। अगर भारत और अमेरिका में सहयोग बढ़ता है, तो इससे चीन की आक्रामकता पर लगाम लगाने में विशेष रूप से सहायता मिलेगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा भरातीय मीडिया के अनुसार बहुत ही भव्यता के साथ शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस भी मनाया। इससे उनके चाहने वालों को यह कहने का मौका मिल गया कि मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के 75 सांसदों ने अपने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर यह आग्रह किया था कि जब वे भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करें, तो भारत में मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का मामला भी उठाएं।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोदी का अमेरिका दौरा सफल रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि भारत क्षेत्रीय, आर्थिक और सैनिक ताकत होने के साथ-साथ एक बहुत बड़ा बाजार भी है, जिसे अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हड़पना चाहती हैं। इसलिए अमेरिका के लिए भारत का महत्व बहुत बढ़ गया है यही कारण है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने मोदी को सरकारी अतिथि के तौर पर स्वागत किया है और उनके स्वागत में अमेरिकी सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। लेकिन मोदी के अमेरिका दौरे का विरोध भी हुआ और उनके अभिभाषण का कुछ लोगों ने विरोध भी किया। मोदी से गुजरात दंगों से लेकर उमर खालिद की गिरफ्तारी और मणिपुर के हालात पर चुभते हुए सवाल दागे गए। रही सही कसर ओबामा ने पूरी कर दी और कहा कि मोदी मुसलमानों के मानवाधिकारों को संरक्षित करें। एक ओर तो मोदी समर्थक मीडिया आने वाले चुनाव में मोदी की अमेरिकी दौरे की सफलता को भुनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर पटना में मोदी को चेतावनी देने के लिए विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं।

इंकलाब ने (29 जून) ने अपने संपादकीय में मोदी के हाल के अमेरिकी दौरे को बेहद सफल बताया है और कहा है कि वाशिंगटन में भारतीय प्रधानमंत्री का जैसा स्वागत हुआ है, वह बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। मोदी का यह दौरा राजकीय दौरा था, इसलिए उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में जो राजकीय भोज दिया था, उसमें अमेरिका के शिखर के 425 लोगों को शामिल किया गया। मोदी को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को दूसरी बार संबोधित करने का मौका भी मिला। इस दौरे से यह भी साफ हुआ है कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मोदी की दोस्ती जितनी गहरी थी, अब उनसे ज्यादा याराना बाइडेन से हो गया है। मोदी और बाइडेन की संयुक्त घोषणा से विश्व को यह संदेश दिया गया है कि अमेरिका और भारत की भागीदारी समुद्र से लेकर आसमान तक फैली हुई है। अमेरिका के वर्चस्व को चीन जिस तरह से चुनौती दे रहा है, उसका सामना करने में भारत महत्त्वपूर्ण सहायक हो सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान

हमारा समाज (26 जून) के अनुसार अमेरिका के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मिस्र का दौरा किया। पिछले 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला मिस्र दौरा था। मिस्र की राजधानी काहिरा में उन्हें मिस्र के सर्वोच्च सरकारी सम्मान 'ऑडर ऑफ नील' से नवाजा गया, जो उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने पेश किया। ऑर्डर ऑफ नील को मिस्री भाषा में 'किलादत अल-नील' कहा जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत साल 1915 में सुल्तान हुसैन कामेल ने की थी। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने देश के लिए उपयोगी सेवाएं प्रदान की हों। जब मिस्र 1953 में लोकतांत्रिक राष्ट्र बना, तो इसके बाद इसका नामकरण 'ऑर्डर ऑफ नील' किया गया। इस अवार्ड की चार श्रेणियां हैं।

रोजनामा सहारा (26 जून) के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी ने सामरिक भागीदारी के दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए, जिनमें दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी शुरू करने का उल्लेख है। प्रधानमंत्री मोदी ने हेलियोपोलिस स्मारक का भी दौरा किया, जो कि प्रथम विश्वयुद्ध में शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। इसका निर्माण कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ने किया है। इसमें 3799 शहीदों के स्मृति चिन्हों का उल्लेख है।

समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिनों तक मिस्र में रहे। वहां उनका स्वागत मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी ने किया। प्रधानमंत्री ने काहिरा में भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर मिस्र में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने कहा कि भारत और मिस्र के व्यापारिक संबंध चार हजार साल पुराने हैं और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ये और मजबूत होंगे। साड़ी पहने हुए जेना नाम की एक मिस्री महिला ने फिल्म शोले का गाना 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' गाकर प्रधानमंत्री मोदी को सुनाया। 1997 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर गया है। इससे पूर्व इस वर्ष के भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। भारत और मिस्र के बीच व्यापार साल

2021-22 में 7.26 बिलियन डॉलर था, जो कि उससे पिछले वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत से अधिक है। अब मोदी और अल-सिसी ने भारत और मिस्र के बीच व्यापार को 12 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सियासत (21 जून) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11वीं शताब्दी की बनी हुई अल-हाकिम मस्जिद का भी दौरा किया। यह ऐतिहासिक मस्जिद मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है। इसकी नींव फातिमी खिलाफत के पांचवें खलीफा अल-अजीज ने साल 990 में रखी थी। इस मस्जिद के निर्माण का कार्य अल-अजीज के बेटे और छठे खलीफा अल-हाकिम के शासनकाल में 1013 में पूर्ण किया गया। छठे खलीफा अल-हाकिम के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम रखा गया। यह ऐतिहासिक मस्जिद साल 1303 में मिस्र में आए भीषण भूकंप से प्रभावित हुई थी। बाद में इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। इसे मिस्र की चौथी सबसे महत्त्वपूर्ण मस्जिद माना जाता है। 1970 के दशक में इस मस्जिद का पुनर्निर्माण भारत के दाऊदी बोहरा संप्रदाय ने करवाया था।

रोजनामा सहारा (27 जून) ने अपने संपादकीय में मिस्र और भारत के संबंधों की चर्चा करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान और अरब देशों के संबंध काफी प्राचीन हैं। भारत आने के लिए समुद्री रास्तों का प्रयोग अरब व्यापारी हजारों वर्ष पूर्व किया करते थे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र के दौरे से दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इस सिलसिले में यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासेर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल जोसिप ब्रोज टीटो और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर तटस्थ राष्ट्रों के गुट की रूप रेखा विश्व के सामने पेश की थी। हाल ही में अरब देशों में चीन ने अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दी है। चीन ने न केवल ईरान और सऊदी अरब को ही एक दूसरे के नजदीक लाया है, बल्कि वह फिलिस्तीन की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास कर रहा है, ताकि मुस्लिम जगत में उसकी छवि सुधर सके। इसका लाभ उठाकर चीन शिंजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न में और भी वृद्धि कर सकता है।

गौरतलब है कि चीन एक विस्तारवादी देश है, जो कि दोस्ती करने में नहीं, बल्कि संबंधित राष्ट्र को कर्ज के जाल में उलझाने में विश्वास रखता है। हाल ही में उसने पाकिस्तान और श्रीलंका को इसी जाल में फंसाया है। अमेरिका के लिए मध्य पूर्व प्रारंभ से ही बहुत ही महत्व का रहा है और उसे सुपर पावर बनाने में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मगर हाल ही में इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव में वृद्धि के कारण अब अमेरिका की स्थिति कमजोर हो गई है।

इस्लाम में लिव–इन रिलेशनशिप हराम

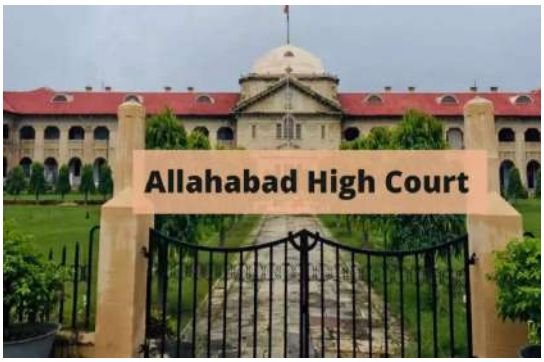

इंकलाब (25 जून) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक अंतर-धार्मिक जोड़े को राहत देने से इंकार करते हुए कहा है कि इस्लाम शादी से पहले शारीरिक संबंधों को मान्यता नहीं देता है, इसलिए उन्हें एक साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। न्यायालय ने पुलिस द्वारा इस जोड़े को परेशान किए जाने से संबंधित याचिका को रद्द कर दिया है। इस जोड़े ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके न्यायालय से सुरक्षा की मांग की थी। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जोहरी की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि इस्लाम में विवाह से पहले किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया जैसे चूमना, छूना और घूरना वगैरह की सख्त मनाही है। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली 29 वर्षीय हिंदू महिला और 30 वर्षीय मुस्लिम पुरुष की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मुस्लिम कानून बिना विवाह के यौन संबंधों की अनुमति नहीं देता है।

अदालत ने कहा कि इस्लाम में लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं है और इसे बलात्कार का हिस्सा माना जाता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कुरान मजीद की सूरा अन-नूर में बलात्कार के लिए दी जाने वाली सजाओं का भी उल्लेख किया गया है। कुरान की सूरा नंबर 24 (अन-नूर) के अनुसार अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक संबंधों की सजा सौ कोड़े हैं। मगर यदि विवाहित पुरुष और महिलाएं अपनी पत्नियों और पतियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, तो उसकी सजा हदीस के अनुसार दी जाती है, जिसमें दोषी व्यक्ति को जमीन में आधा गाड़ दिया जाता है और लोग उन्हें पत्थर मार-मारकर उनकी हत्या कर देते हैं।

गौरतलब है कि इस मामले में हिंदू महिला की मां लिव-इन रिलेशनशिप से नाराज थी, जिसके बाद उसने पुलिस में इस जोड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जब पुलिस इस जोड़े को परेशान करने लगी तो उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके यह आग्रह किया कि उन्हें पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है और अदालत उन्हें इस संबंध में सुरक्षा प्रदान करे। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी उल्लेख किया था, जिस पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, उसका उद्देश्य ऐसे संबंधों को प्रोत्साहन देना कतई नहीं है। अदालत ने कहा है कि कानून परंपरागत विवाह के पक्ष में रहा है, क्योंकि इसके तहत विवाहित लोग कई तरह के अधिकार और सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इसलिए शादी की परंपरा को बरकरार रखने और उसे प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि इस जोड़े ने आपस में विवाह करने की भी इच्छा व्यक्त नहीं की है। ऐसे हालात में इस्लामी कानून को मद्देनजर रखते हुए बिना विवाह के उनके बीच के शारीरिक संबंधों को किसी भी हाल में स्वीकृति नहीं दी जा सकती।

मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने का अभियान

औरंगाबाद टाइम्स (23 जून) के अनुसार भाजपा ने 2024 का चुनाव जीतने के लिए हर फ्रंट पर जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। अल्पसंख्यकों को भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की ओर आकर्षित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री के विजन और अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी सहानुभूति और कल्याण के रूख को प्रदर्शित करने के लिए मोदी मित्रों के एक गुट को तैयार किया जा रहा है, जिनका संबंध मुस्लिम समाज से है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के गढ़ देवबंद से इस अभियान की शुरुआत की गई है। वहां पर एक समारोह का आयोजन करके 150 मुसलमानों को पेश किया गया है, जिन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाया है।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी के पक्ष में देश भर के 65 लोकसभा क्षेत्रों का चयन किया है। ये लोकसभा क्षेत्र दस राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। इन सभी क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है और इन क्षेत्रों के मतदाताओं से नजदीक का संपर्क स्थापित करने के लिए चार महीने का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को भाजपा और मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराने के लिए मोदी मित्रों का एक कैडर तैयार किया गया है। इसमें वकील, अकाउंटेंट, पत्रकार, लेखक, शिक्षाविद, डॉक्टर आदि विभिन्न पेशे के लोग शामिल हैं, जो भले ही भाजपा का हिस्सा न हों, लेकिन वे मोदी के प्रशंसक हैं। इस अभियान का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और वे इस अभियान के तहत अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में अवगत करवाएंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 जून) के अनुसार अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने दारूल उलूम देवबंद का दौरा किया और उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस संबंध में उर्दू और अन्य भाषाओं में तैयार किया गया विशेष साहित्य भी जन-जन तक पहुंचाने का दारूल उलूम देवबंद के छात्रों और अन्य वर्गों के मुसलमान नेताओं से अनुरोध किया। जावेद मलिक ने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी की उपलिब्धयों के बारे में विशेष अभियान चला रहा है, जिसमें उनके नौ वर्ष के कार्य की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और आज देश विकास की प्रगति पर अग्रसर है।

उत्तर प्रदेश में बेहतरीन शांति व्यवस्था है और महिलाएं तथा कमजोर वर्ग के लोग बेखौफ होकर अपने घरों से बाहर निकलते हैं। मोदी सरकार ने विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्ग के कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार पिछड़े मुसलमानों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर मजबूत बनाने का काम कर रही है। मोदी सरकार 'सबका साथ और सबका विकास' के एजेंडे पर काम कर रही है।

पॉपुलर फ्रंट से संबंधित लोगों के घरों पर छापे

रोजनामा सहारा (30 जून) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एटीएस ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट से संबंधित नेताओं और कार्यकर्ताओं का सुराग लगाने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में दर्जनों स्थानों पर छापे मारे। बिहार के पटना और दरभंगा में एक दर्जन स्थानों पर छापे मारे गए। छापों की कार्रवाई आठ घंटे तक जारी रही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने उत्तर प्रदेश के बरेली में भी छापा मारा। दरभंगा में इस टीम ने बहेरा थाना क्षेत्र के गाजियाना गांव और छोटकी बाजार में छापे मारे और दोनों टीमें एक दर्जन संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए साथ ले गई। इनमें से पांच व्यक्तियों को बाद में रिहा कर दिया गया।

पकड़ा गया एक युवक पटना के एक मदरसा में शिक्षक के रूप में कार्य करता है। अरबी भाषा का अनुवाद करने में यह व्यक्ति विशेषज्ञ माना जाता है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति का संबंध आईएसआई से भी पाया गया है। पकड़े गए अन्य लोगों के कब्जे से कई कंप्यूटर, लैपटॉप आदि बरामद हुए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ की इमारत-ए-शरिया के समीप स्थित मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी की किताबों की दुकान में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने छापेमारी की। बताया जाता है कि हाल ही में तमिलनाडु में मुमताज अंसारी नामक जो संदिग्ध पकड़ा गया था, उससे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर यह छापेमारी की गई थी। बताया जाता है कि मुमताज अंसारी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला है।

फ्रांस में एक मुस्लिम किशोर की मौत के बाद भीषण दंगे

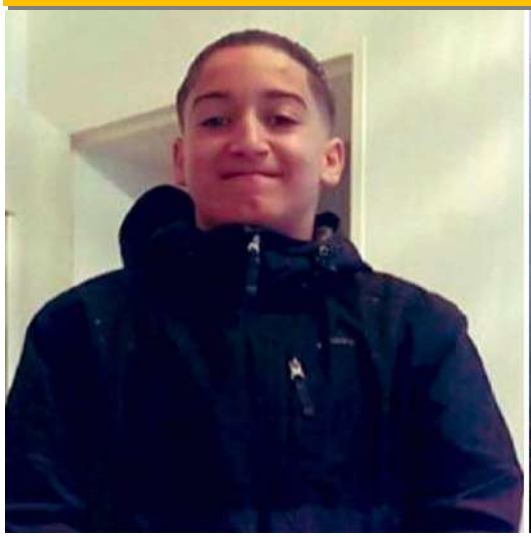

इंकलाब (4 जुलाई) के अनुसार फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अल्जीरियाई मूल के 17 वर्षीय किशोर नाहेल एम. की पुलिस फायरिंग में मौत हो जाने की घटना ने राष्ट्रव्यापी उग्र प्रदर्शनों का रूप ले लिया है और यह सिलसिला पिछले एक सप्ताह से जारी है। विस्फोटक स्थिति को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने सभी मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पूरा जोर लगा दें। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डर्मैनिन ने कहा है कि दंगों पर काबू पाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों सहित 45 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने पेरिस पुलिस द्वारा नाहेल की हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि यह युवक फ्रांसीसी पुलिस की नस्ली हिंसा का शिकार बना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता ने जेनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम फ्रांस में अल्जीरियाई मूल के एक किशोर की हत्या से चिंतित हैं। फ्रांस को नस्ल और रंगभेद के विषय पर गंभीरता से विचार करके इसका हल निकालना चाहिए।

इंकलाब (3 जुलाई) के अनुसार पेरिस के अलावा फ्रांस के कई अन्य नगरों में भी जबर्दस्त हिंसा हुई है। उग्र प्रदर्शनकारियों ने मेयर के घर को भी आग के हवाले कर दिया है। प्रदर्शनकारी सरकार की अपील पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तक पुलिस शांति बहाल करने में सफल नहीं हो सकी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 जुलाई) के अनुसार पेरिस में पुलिस द्वारा नाहेल नामक मुस्लिम किशोर की हत्या के खिलाफ पिछले पांच दिनों से उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्तियों, स्कूलों और कार्यालयों को भी आग के हवाले कर दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (3 जुलाई) के अनुसार पिछले एक सप्ताह से देशभर में उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। अब तक दो हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन झड़पों में 200 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने 1500 से अधिक वाहनों

और 300 से अधिक आवासीय भवनों को भी आग के हवाले कर दिया है और दुकानों और व्यापारिक केंद्रों में लूटपाट का सिलसिला जारी है। फ्रांस के अधिकतर शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। देशभर में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति ने विस्फोटक स्थिति को देखते हुए अपना जर्मनी का दौरा रद्द कर दिया है।

इंकलाब (29 जून) के अनुसार फ्रांस में पुलिस द्वारा एक मुस्लिम किशोर नाहेल एम. की गोली मारकर हत्या करने के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार ट्रैफिक लाइट पर रोकने के दौरान पुलिस की ओर से एक किशोर को गोली मारने की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। फ्रांस के नेताओं ने इस घटना पर गम व गुस्से का इजहार किया है।

समाचारपत्र के अनुसार 26 जून को 17 वर्षीय मुस्लिम किशोर नाहेल एम. को दो पुलिस अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में पकड़ लिया था। पुलिस ने शुरू में यह बताया था कि पुलिस अधिकारी ने इस युवक पर इसलिए गोली चलाई थी, क्योंकि वह इस पुलिस अधिकारी को अपनी कार से कुचलना चाहता था। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार दो पुलिस अधिकारी एक रूकी हुई कार के पास खड़े हैं और इनमें से एक पुलिस अधिकारी ड्राइवर की ओर बंदूक दिखाते हुए कहता है कि अब तुम्हारे सिर में गोली लगने वाली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार जैसे ही चलती है, पुलिस अधिकारी उस पर गोली चला देता है। इसके बाद कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और कुछ ही देर में कार सवार की मृत्यु हो जाती है।

इस घटना के बाद पेरिस सहित कुछ अन्य शहरों में उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। कई कारों को आग के हवाले कर दिया गया और एक स्कूल को भी फूंक डाला गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अलग-थलग करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस घटना को अक्षम्य करार दिया है और कहा है कि जिस तरह से एक किशोर को मारा गया है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही उसके दोषियों को ही माफ किया जा सकता है। फ्रांसीसी पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने अपने एक ट्विट में कहा है कि मैं एक फ्रांसीसी होने के नाते नाहेल की हत्या पर शर्मिंदा हूं। यह स्थिति मेरे लिए असहनीय है और इसका राष्ट्रव्यापी विरोध किया जाना जरूरी है।

यूगांडा के स्कूल पर इस्लामिक आतंकियों का हमला

रोजनामा सहारा (18 जून) के अनुसार यूगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सीमा के समीप स्थित एक स्कूल पर आतंकियों के हमले में कम-से-कम 40 बच्चे मारे गए और कई दर्जन किशोरियों का अपहरण कर लिया गया। इससे पूर्व आतंकियों ने स्कूल में आग लगा दी और खाने-पीने का सारा सामान लूट लिया। आग के धुएं से दम घुटने के कारण एक दर्जन से अधिक बच्चे मारे गए, जोकि इस स्कूल के होस्टल में रह रहे थे। स्कूल से 60 से अधिक शव निकाले गए हैं। जबकि एक दर्जन घायलों की हालत चिंताजनक है।

यूगांडा के सैनिक प्रवक्ता ने कहा कि इस हमले में आग से झुलस जाने के कारण 17 छात्र मरे हैं। सेना विद्रोहियों का पीछा कर रही है। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक आतंकी संगठन एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एडीएफ) का हाथ है, जोकि यूगांडा का एक विद्रोही संगठन है। इस क्षेत्र में विद्रोही काफी समय से सक्रिय हैं। जानकारी के अनुसार आईएसआईएस से जुड़े इस आतंकी संगठन का गठन 1996 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2014 में सैकड़ों नागरिकों की हत्या के लिए इस संगठन को दोषी ठहराया था।

सोमालिया विधानसभा के अंदर मारपीट में 26 मरे

इंकलाब (22 जून) के अनुसार सोमालिया के स्वायत्त राज्य पुंटलैंड की राजधानी गेरूवे में सैनिकों और विद्रोहियों के बीच हुई झड़प में कम-से-कम 26 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हो गए। समाचारपत्रों के अनुसार विधानसभा में जब संविधान में संशोधन पर चर्चा हो रही थी, तो सैनिकों और विद्रोहियों के बीच झड़प हुई। इस हमले में तोपों, मोर्टारों और मशीन गनों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। यह झड़प उस समय शुरू हुई, जब देश के संविधान में संशोधन के पक्ष में 35 सदस्यों में से 34 ने संविधान संशोधन के पक्ष में मत दिए। इस संशोधन के बाद राज्य के प्रमुख सईद अब्दुल्लाही डेनी को अपने कार्यकाल में विस्तार करने का अधिकार मिल गया है।

सोमालिया के इस राज्य में काफी समय से विभिन्न गुटों में सशस्त्र संघर्ष चल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन ने अपने दो हजार फौजियों को सोमालिया से निकाल लिया है और सोमालिया के राज्य हिर्शबेले में स्थित अपने एक प्रमुख सैनिक अड्डे को सोमालिया की सेना के हवाले कर दिया है। गौरतलब है कि अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन सोमालिया में गृह युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, जिसका लक्ष्य गृह युद्ध के बाद सत्ता में आने वाली अंतरिम सरकार की सेना का समर्थन करना था।

यूनान में नाव दुर्घटना में 300 से अधिक पाकिस्तानी मरे

रोजनामा सहारा (22 जून) के अनुसार यूनान (ग्रीस) में नाव दुर्घटना में 300 से अधिक पाकिस्तानियों के मरने की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिनमें सिर्फ गुजरांवाला के ही 100 से अधिक लोग शामिल हैं। बताया जाता है कि ये पाकिस्तानी अवैध तरीके से यूरोप में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अनेक पाकिस्तानी लापता भी हुए हैं, जिनमें सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लोग शामिल हैं।

रोजनामा सहारा (20 जून) के अनुसार यूनान में हुए नाव दुर्घटना के सिलसिले में पाकिस्तानियों को अवैध रूप से यूनान में घुसपैठ करवाने वाले गिरोह के सरगना को पाकिस्तान के गुजरात नगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि इस नाव में 400 पाकिस्तानी, 200 मिस्री और 150 सीरियाई नागरिक यात्रा कर रहे थे, जिनमें काफी महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान सरकार ने इस दुर्घटना को राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की है और मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए नमाज का भी आयोजन किया गया।

पाकिस्तान की फेडरल जांच एजेंसी ने अवैध रूप से मानव तस्करी करने वाले जिस गिरोह के प्रमुख को गिरफ्तार किया है, उसकी पहचान वकास अहमद के रूप में हुई है। उसका संबंध वजीराबाद से बताया जाता है। बताया जाता है कि उसने पाकिस्तानियों को अवैध रूप से यूनान के समुद्र तट तक पहुंचाने के लिए 10-23 लाख रुपये प्रति व्यक्ति बटोरे थे। पुलिस इस गिरोह से संबंधित अन्य व्यक्तियों की तलाश में पाकिस्तान और अफ्रीका में छापे मार रही है। अब तक इस संबंध में दो दर्जन से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस गिरोह के एक अन्य व्यक्ति साजिद महमूद को तब गिरफ्तार किया गया, जब वह पाकिस्तान से फरार होने का प्रयास कर रहा था। साजिद महमूद का संबंध मंडी बहाउद्दीन से बताया जाता है। इसने भी पाकिस्तानियों को अवैध रूप से यूरोप में पहुंचाने के बदले में करोड़ों रुपये बटोरे थे।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के निशाने पर चीनी परियोजनाएं

हमारा समाज (25 जून) के अनुसार प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे (बीआरआई प्रोजेक्ट) की परियोजनाओं को ध्वस्त करने की घोषणा की है। निक्केई एशिया नामक वेबसाइट के अनुसार बलूचिस्तान में चीन के सहयोग से स्थापित की जा रही अनेक विकास परियोजनाओं को टीटीपी द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। यह क्षेत्र पिछले कई सालों से चीन द्वारा संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं

का गढ़ रहा है और इन परियोजनाओं को बलूचिस्तान नेशनल आर्मी और टीटीपी लगातार अपना निशाना बना रहे हैं।

निक्केई एशिया वेबसाइट के अनुसार टीटीपी इस क्षेत्र में अपनी समानांतर सरकार स्थापित करने की तैयारी कर रहा है, जिनमें 760 किलोमीटर के समुद्र तट सहित बलूचिस्तान का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। एक महीने पूर्व इस प्रतिबंधित संगठन ने उत्तरी-पश्चिमी पाकिस्तान में चीन के सहयोग से प्राकृतिक गैस और तेल की तलाश से संबंधित अनेक परियोजनाओं पर हमला किया था, जिसमें कई दर्जन पाकिस्तानी और चीनी विशेषज्ञ मारे गए थे। इन हमलों के बाद चीन इस क्षेत्र में पूंजी निवेश की अनेक परियोजनाओं पर पुनर्विचार कर रहा है। चीन अपनी परियोजनाओं के लिए पाकिस्तान सरकार से सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है।

पाकिस्तान और चीन द्वारा विकसित किए गए आर्थिक गलियारे पर चीन अब तक 50 अरब डॉलर के एक बड़े हिस्से को खर्च कर चुका है। इस क्षेत्र में चीनी परियोजनाओं पर बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए चीन और अधिक पूंजी निवेश करने से हिचकिचा रहा था और उसने इमरान खान के शासनकाल में इन विकास परियोजनाओं में पूंजी निवेश करने को खटाई में डाल दिया था। मगर शहबाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद देश में बढ़ती हुई महंगाई और विदेशी मुद्रा के मूल्य में आई भारी गिरावट को देखते हुए पाकिस्तान सरकार चीन पर इस बात का दबाव डाल रही है कि पाकिस्तान को आर्थिक संकट से बचाने के लिए वह इन क्षेत्रों में पुनः पूंजी निवेश शुरू करे। टीटीपी इस क्षेत्र में चीनी परियोजनाओं के लिए खतरा पैदा करके शहबाज शरीफ की सरकार के लिए आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। साथ ही चीन को इस आर्थिक गलियारे द्वारा सप्लाई की जाने वाली ऑयल पाइप लाइन के लिए भी टीटीपी खतरा पैदा कर सकता है। इससे ईरान से चीन के लिए तेल की सप्लाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के स्वायत्त संगठनों की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण हाल ही में चीन ने इस क्षेत्र में विकास की योजनाओं में पूंजी निवेश को लगभग रोक दिया है। पिछले एक वर्ष में क्षेत्रीय पृथकतावादी गुट चीनी नागरिकों और उनके द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि टीटीपी और स्वायत्त बलूचिस्तान के समर्थको के बीच आपसी संबंध कैसे हैं, मगर पाकिस्तान की फेडरल सरकार इन दोनों संगठनों की दुश्मन है। आईएसआईएस के खुरासान चैप्टर से भी इन दोनों संगठनों के रिश्ते बताए जाते है।

अफगानिस्तान की सहायता राशि में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक अरब डॉलर की कटौती

इंकलाब (28 जून) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा और उनके रोजगार पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण संयुक्त राष्ट्र का तालिबान सरकार के साथ गतिरोध बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लिए मानवीय आधार पर सहायता की राशि में एक अरब डॉलर की कटौती कर दी है, जिसका प्रभाव अफगानिस्तान की जनता को दी जाने वाली सहायता पर पड़ेगा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष के मार्च महीने में मानवीय आधार पर अफगानिस्तान की सहायता के लिए 'ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स प्लान' शुरू किया था। इस योजना के तहत इस साल दानदाताओं से दो करोड़ 30 लाख से अधिक बेहद जरूरतमंद अफगान नागरिकों के लिए चार अरब 60 करोड़ डॉलर की सहायता राशि देने की अपील की थी।

इससे पूर्व दिसंबर महीने में तालिबान सरकार ने अफगान महिलाओं के संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालयों में काम करने और उनके शिक्षा प्राप्त करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने अपने कार्यक्रम में भारी परिवर्तन किया और उसने अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता में एक अरब डॉलर की कटौती कर दी। अब संयुक्त राष्ट्र ने दानदाताओं से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर अफगान नागरिकों को देने की अपील की है।

160 देशों के 25 लाख से अधिक लोगों की हज की रस्म में भागीदारी

सालार (25 जून) के अनुसार इस वर्ष 160 देशों के 25 लाख हाजियों द्वारा हज की रस्म अदा की गई। इस बार सऊदी अरब में भीषण गर्मी पड़ रही थी। लेकिन हाजियों को पवित्र स्थानों तक पहुंचाने के लिए बिना ड्राइवर के सेल्फ ड्राइविंग बसें उपलब्ध कराई गई। पूरा सऊदी अरब सफेद रंग के अहराम और सैंडल पहने हुए हाजियों से भरा हुआ नजर आ रहा था। हज इस्लाम के पांच अनिवार्य कर्तव्यों में से एक है। 25 हजार से अधिक बसें जेद्दा एयरपोर्ट से मक्का तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की गईं और 17 ट्रेनें भी इस कार्य में लगाई गईं। हज यात्रा से सऊदी अरब को हर साल 12 बिलियन डॉलर की आय होती है। हज यात्रियों के लिए 1.36 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भी प्रबंध किया गया था। 20 लाख से अधिक लोगों ने मीना के मैदान में पूरी रात गुजारीं और बाद में वहां पर स्थित तीन शैतानों को एक साथ कंकड़ों से मारा। इसके बाद 40 हजार पशुओं की कुर्बानी दी गई। कुर्बानी के मांस को रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। कुछ साल पहले मीना में आग लगने से ढ़ाई हजार हाजी मारे गए थे, इसलिए इस बार वहां पर फायर प्रूफ शिविरों की व्यवस्था की गई थी।

अवधनामा (28 जून) के अनुसार अराफात की निमराह मस्जिद से हज का खुतबा देते हुए शेख हुसैन बिन अब्दुल अजीज अल-शेख ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि तमाम मुसलमान एकजुट हों। शैतान मुसलमानों में मतभेद चाहते हैं, इसलिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कोई मतभेद हो तो कुरान व सुन्नत के जरिए उसे दूर करें। अल्लाह का हुक्म है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना अल्लाह की आज्ञा का पालन करना है। मुसलमानों को 'कुफ्र' और 'बातिल' से दूर रहना चाहिए। हज के खुतबे को विश्व की 25 भाषाओं में डिजिटली अनुवाद किया गया।

इंकलाब (28 जून) के अनुसार ईद की नमाज मक्का और मदीना की साढ़े तीन हजार मस्जिदों में अदा की गई। महिलाओं के नमाज के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के प्रभारी डॉ. सलेम बिन हज अल-खमरी ने कहा कि इनमें से ढ़ाई हजार मस्जिदें मक्का में और पांच सौ के लगभग मस्जिदें मदीना में स्थित थीं। हज की रस्म पूरी करने के बाद सभी हाजियों ने अपना मुंडन करवाया और इसके बाद उन्होंने सफेद रंग का अहराम उतार दिया।

इत्तेमाद (17 जून) के अनुसार इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की रहने वाली 103 वर्षीय सबसे बुजुर्ग महिला राबी अली और सबसे कम उम्र का बच्चा, जिसकी उम्र एक वर्ष बताई जाती है, ने भी हज किया।

औरंगाबाद टाइम्स (17 जून) के अनुसार इस बार काबा शरीफ की सफाई का काम रोबोट द्वारा किया गया। हाजियों की सुविधा के लिए हवाई अड्डों पर विशेष व्यवस्था की गई थी और अप्रवासन की कार्रवाई 20 मिनट में ही पूरी कर दी जाती थी। आब-ए-जमजम की बोतलें भी रोबोट द्वारा हाजियों को बांटी जा रही थी और ये रोबोट लगातार 12-12 घंटे काम कर रहे थे। सरकारी सूत्रों के अनुसार 17 लाख यात्री वायुमार्ग से हज करने के लिए आए थे। जबकि पांच लाख सड़क मार्ग से और शेष जल मार्ग से सऊदी अरब पहुंचे थे। हज के मौके पर 42 विशेष अस्पताल, 290 एंबुलेंस और 52 हजार मेडिकल कर्मचारी हाजियों की सेवा में कार्यरत थे।

सालार (27 जून) के अनुसार हज यात्री हज की शुरुआत सफेद रंग के अहराम (एक चादरनुमा कपड़ा) पहनकर करते हैं। इसके बाद वे काबा की परिक्रमा करते हैं और मीना के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर अराफात के मैदान की ओर चले जाते हैं, जहां वे एक दिन का 'वक्फ अल अरफा' अदा करते हैं। इस दिन को 'यौमे अरफा' भी कहा जाता है और इस दिन हाजी खुतबा-ए-हज सुनते हैं। यह हज के समारोह का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसके बाद हाजी शैतानों को कंकड़ मारते हैं और परिक्रमा करके वापस मीना पहुंच जाते हैं। अंत में मक्का की पुनः परिक्रमा करते हैं और सिर मुंड़ाने के बाद अल अहराम को उतारकर आम लिबास पहनकर हज के समारोह का अंत करते हैं।

रोजनामा सहारा (25 जून) के अनुसार सऊदी अरब में हाजियों के लिए 600 विशेष बाजार खोले गए थे और पशुओं की कुर्बानी देने के लिए साढ़े पांच सौ आधुनिक वधशालाएं बनाई गई थीं।

तुर्किये का नया संविधान बनाने की घोषणा

सियासत (17 जून) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने देश का नया संविधान बनाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि एर्दोगन पिछले महीने तीसरी बार तुर्किये के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि नया संविधान का स्वरूप सिविलयन होगा और इसमें तुर्किये के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नए मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए एर्दोगन ने कहा कि उनका लक्ष्य तुर्किये को विश्व की दस सबसे उन्नत और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में शामिल करने का है। एर्दोगन की अध्यक्षता में तुर्किये के नए मंत्रिमंडल का पहला अधिवेशन आठ घंटे तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तुर्किये की स्थापना की दूसरी शताब्दी में उसकी यात्रा एक सिविलियन, लिबरल और सर्वजन के लिए उपयोगी संविधान के अंतर्गत हो। उन्होंने 2018 में लागू की गई राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था (जिसके तहत देश में प्रधानमंत्री पद को

समाप्त कर दिया गया) की सराहना की और कहा कि इस बार देश में जो आम चुनाव हुए हैं, उसमें जनता ने पुरानी व्यवस्था को वापस लाने से इंकार कर दिया है और अब इसके बारे में सभी तरह की चर्चा भी समाप्त हो गई है।

गौरतलब है कि आधुनिक तुर्किये के संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा (कमाल अतातुर्क) ने 29 अक्टूबर 1923 को तुर्किये को लोकतांत्रिक देश घोषित किया था और वे इसके पहले राष्ट्रपति बने थे। 4 मार्च 1924 को उन्होंने तुर्किये में खिलाफत के खात्मे की भी घोषणा की थी। इसी साल लोकतांत्रिक तुर्किये का पहला संविधान बनाया गया था, जिसमें इस्लाम को सरकारी धर्म का दर्जा दिया गया था। मगर 1928 में इस्लाम को सरकारी धर्म के दर्जे को समाप्त कर दिया गया और 30 वर्ष तक यही संविधान जारी रहा। बाद में 1960 में जब देश में सैनिक क्रांति हुई, तो 1961 में नया संविधान बनाया गया और चुनाव के बाद देश को निर्वाचित प्रतिनिधियों के हवाले कर दिया गया, लेकिन चार सालों तक प्रशासन में सेना का हस्तक्षेप चलता रहा। इस तरह तुर्किये में 1980 में दूसरी बार सैनिक क्रांति हुई, जिसके दो वर्ष बाद देश का नया संविधान बनाया गया और यही संविधान अब तक तुर्किये में लागू है। अब तक इस संविधान में 19 बार संशोधन किए गए हैं। आखिरी संशोधन 2017 में किया गया था, जिसमें नागरिकों के अधिकारों में वृद्धि और सेना के अधिकारों में कटौती की गई थी। यह संशोधन 2016 में सैनिक क्रांति के असफल प्रयास के बाद हुआ था। 2017 में संविधान में संशोधन करके प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और सारे अधिकार राष्ट्रपति को दे दिए गए। बाद में राष्ट्रपति की शक्तियों में और भी वृद्धि की गई।

वेस्ट बैंक की यहूदी बस्तियों में विस्तार की इजरायली योजना

इत्तेमाद (20 जून) के अनुसार इजरायल सरकार ने वेस्ट बैंक के क्षेत्र में कुछ और नई यहूदी बस्तियों को बसाने का काम शुरू कर दिया है। अमेरिकी दबाव के बावजूद इजरायल द्वारा वेस्ट बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में 4560 नई आवासीय इकाइयां बनाई जा रही हैं और इनमें से 1000 से ज्यादा इकाइयां बनकर तैयार हो चुकी हैं। जबकि अन्य मकानों के निर्माण का कार्य विभिन्न हिस्सों में चल रहा है। इजरायल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि हम

नई बस्तियों के निर्माण कार्य को जारी रखेंगे, ताकि इस क्षेत्र पर इजरायल का नियंत्रण मजबूत हो सके। गौरतलब है कि स्मोट्रिच इजरायल के अतिरिक्त रक्षा मंत्री भी हैं।

वेस्ट बैंक पर 1967 के युद्ध में इजरायल ने कब्जा कर लिया था। इजरायल और फिलिस्तीन विवाद में इन यहूदी बस्तियों का मुद्दा बेहद महत्त्वपूर्ण है। इजरायल के इस फैसले का फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने विरोध किया है और उसने इजरायल के साथ होने वाली संयुक्त वित्तीय

कमेटी की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है। इस्लामिक आतंकी संगठन हमास ने भी इजरायल के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि हम अपनी भूमि पर इजरायल के नाजायज कब्जे को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं करने देंगे और हम इसका डटकर विरोध करेंगे। दूसरी ओर, इजरायल के इस फैसले का यहूदी गुटों ने समर्थन किया है और कहा है कि यह इजरायल का एक उचित कदम है।

इंकलाब (27 जून) के अनुसार फिलिस्तीनी भूमि और मकान रक्षा कमेटी के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है कि 1948 के बाद से इजरायल फिलिस्तीन अधिकृत क्षेत्रों में अरब मुसलमानों के एक लाख मकानों को ध्वस्त करवा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में इजरायल ने यहूदियों के लिए जो नई बस्तियां बसाई हैं, उनमें से 80 प्रतिशत से ज्यादा के पास अनुमति पत्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में फिलिस्तीनियों के जो घर हैं, उन्हें इजरायल मान्यता पत्र भी प्रदान नहीं करता है और उन्हें इजरायल अधिकृत मानचित्रों में भी शामिल नहीं किया जाता है। इजरायल द्वारा अधिकृत 48 क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक फिलिस्तीनी जनता को उनकी अपनी भूमि पर बने मकानों के अनुमति पत्र से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी मुसलमानों के 90 प्रतिशत मकान गिरा दिए जाते हैं। जबकि यहूदियों के गैर-कानूनी मकानों को भी मान्यता दी जाती है। इजरायल के अंदर 60 प्रतिशत फिलिस्तीनी अरबों के पास कोई भूमि नहीं है। जबकि इजरायली सरकार ने जो एक लाख फिलिस्तीनी अरबों के मकान ध्वस्त किए हैं, उन्हें फिलिस्तीनियों ने खुद की भूमि पर बनाए थे। इजरायल सरकार की यह नीति है कि मुसलमान फिलिस्तीनियों को इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वे इजरायल अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों से पलायन करने पर मजबूर हो जाएं।

ईरान और सऊदी अरब के बढ़ते संबंधों से दुश्मन बेचैन

इत्तेमाद (20 जून) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ते हुए सहयोग और संबंधों में सुधार के कारण इस्लाम के दुश्मनों के सीने पर सांप लोट रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने ईरान का दौरा किया था और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की थी। ईरान की संवाद समिति 'तस्नीम' के अनुसार इब्राहिम रईसी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों से अरब जगत में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ते हुए सहयोग से मुसलमानों के दुश्मनों को बेचैनी हो रही है। इस क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं, जो हर मुसलमान के लिए

चिंताजनक हैं। इन समस्याओं का समाधान इस क्षेत्र के देशों के बीच दोस्ती से ही हो सकता है। इसमें बाहरी ताकतों की कोई जरूरत नहीं है।

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए के अनुसार चीन के प्रयास से ईरान और सऊदी अरब के बीच जो राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, वह सही दिशा में एक उचित कदम है। संवाद

समिति ने कहा है कि दोनों देशों के बीच के संबंधों को मजबूत बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए वार्ताओं और समझौतों का यह सिलसिला जारी रखा जाएगा। सऊदी अरब के शाह सलमान ने भी रईसी के हाल के सऊदी अरब दौरे को ईरान और सऊदी अरब के संबंधों में एक नया मोड़ करार दिया है। गौरतलब है कि चीन के प्रयास से सऊदी अरब और ईरान ने तेहरान और रियाद में अपने-अपने दूतावास दोबारा खोल लिए हैं और ईरान के मशहद में भी शीघ्र ही महावाणिज्य दूतावास को खोले जाने की संभावना है।

चीन द्वारा स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन

सियासत (16 जून) के अनुसार चीन ने पहली बार फिलिस्तीन समस्या का एक मात्र हल यह बताया है कि एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य स्थापित किया जाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को बीजिंग में यह आश्वासन दिया कि चीन फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन करता है और वह इजरायल के साथ फिलिस्तीन के संबंधों में आई कटुता को दूर करने के लिए शांति वार्ता का समर्थक है। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक इजरायाल फिलिस्तीन के अधिकृत क्षेत्रों को खाली नहीं करता, तब तक फिलिस्तीनी समस्या का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन समस्या का बुनियादी हल यह है कि 1967 में फिलिस्तीन की जो सीमा थी उस पर आधारित एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की जाए और इसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम हो। चीन फिलिस्तीन के साथ दोस्ती और सहयोग को मजबूत बनाना चाहता है।

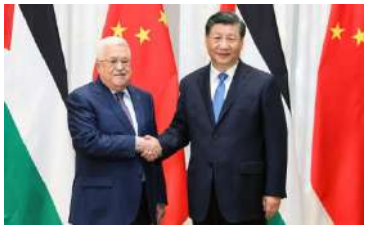

समाचारपत्र का कहना है कि फिलिस्तीन की समस्या उस समय शुरू हुई, जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के भागीदार के रूप में ऑटोमन साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद फिलिस्तीनी क्षेत्र का नियंत्रण ब्रिटेन के पास चला गया। उस समय इस क्षेत्र में यहूदी बहुत ही कम संख्या में थे। जबकि अरब मुसलमानों का बहुमत था। यहूदियों और अरबों के संबंध उस समय खराब हुए, जब 1917 ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि फिलिस्तीन में ब्रिटेन आजाद यहूदी राज्य स्थापित करने का समर्थन करेगा और इसमें आवश्यक सहयोग भी देगा। मगर अरबों ने इसका विरोध किया।

प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच में ब्रिटेन की शह पर विश्व भर के यहूदियों को फिलिस्तीनी क्षेत्रों में लाया गया। इस बाल्फोर घोषणा के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित करने के लिए वोटिंग कराई। इस वोटिंग का लक्ष्य फिलिस्तीन को यहूदी बहुल राज्य और अरब बहुल राज्य में बांटना था। किंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि, मतदान के परिणामों को यहूदियों ने तो स्वीकार कर लिया। मगर अरबों ने इसे अस्वीकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह योजना पेश की थी कि अगर दो अलग-अलग राज्यों का निर्माण होता है तो यरुशलम एक अंतरराष्ट्रीय नगर होगा। मगर मतदान रद्द होने के बाद यह मामला भी आगे न बढ़ सका। ब्रिटिश शासक 1948 के बाद इस समस्या का समाधान किए बिना ही वहां से चले गए। उनके वहां से जाते ही यहूदी सक्रिय हुए और उन्होंने इजरायल नामक यहूदी बहुल राष्ट्र की घोषणा कर दी। जबकि फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया। इस

संघर्ष में लाखों फिलिस्तीनी मुसलमानों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया और उनकी जमीनों पर यहूदियों ने कब्जा करके इजरायल नामक नए राष्ट्र की घोषणा कर दी। बेघर हुए फिलिस्तीनियों को वापस उनके घरों में आबाद होने की अनुमति नहीं दी गई। इस बंदर बांट के बाद जॉर्डन और मिस्र के हिस्से में भी फिलिस्तीन के कुछ भाग आए।

1967 के अरब-इजरायल युद्ध में इजरायल ने पूर्वी यरुशलम और वेस्ट जॉर्डन के साथ-साथ सीरिया में गोलन की पहाड़ियों, गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर भी कब्जा कर लिया। अर्थात जॉर्डन और मिस्र के हिस्से भी इजरायल ने युद्ध में हथिया लिए। मगर 1973 की अरब-इजरायल युद्ध के बाद होने वाली वार्ता के परिणामस्वरूप इजरायल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को वापस दे दिए। मगर इसके बावजूद अरबों और इजरायलियों के बीच फिलिस्तीनी समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ है। चीन का दृष्टिकोण यह है कि जब तक इस क्षेत्र में आजाद फिलिस्तीनी सरकार की स्थापना नहीं होती और फिलिस्तीन का एक आजाद देश वजूद में नहीं आ जाता, तब तक इस क्षेत्र में स्थाई शांति होना संभव नहीं है।

सऊदी अरब की भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना

सियासत (19 जून) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने भारतीय पर्यटकों को अपने देश में पर्यटन के लिए आकर्षित करने की विशेष योजना बनाई है। पिछले वर्ष दस लाख भारतीय पर्यटकों ने सऊदी अरब का दौरा किया था। अब सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने इस संख्या को बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। अरब न्यूज के अनुसार ईद के बाद भारत और सऊदी अरब के बीच हवाई उड़ानों में वृद्धि की जा रही है। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के एशिया पेसिफिक के प्रमुख ने कहा है कि इस साल की पहली तिमाही में चार लाख भारतीय यात्री सऊदी अरब आए थे। साल 2030 तक इस संख्या को 12 मिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ईद के बाद से भारत से सऊदी अरब के लिए सीधी हवाई उड़ानों की संख्या प्रति सप्ताह 243 से बढ़ाकर 290 की जा रही है।

इंकलाब (28 जून) के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि नियोम नामक नए नगर की परियोजना से हम विश्व सभ्यता में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। डिस्कवरी चैनल द्वारा दिखाई जाने वाली नियोम नगर से संबंधित अपनी परियोजना का उल्लेख करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब की जनसंख्या 33 मिलियन से 2030 तक बढ़कर 50-55 मिलियन तक पहुंच जाने की संभावना है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वर्तमान नागरिक ढांचा अपर्याप्त है। इसलिए यह जरूरी है कि नए नगर बसाए जाएं, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या के रहने के लिए जगह और रोजगार मिल सके।

मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम यह चाहते हैं कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ तेल के निर्यात पर ही निर्भर न रहे, बल्कि इसे बहुआयामी रूप दिया जाए। हम सऊदी अरब के पहाड़ों, घाटियों, तटीय क्षेत्रों और रेगिस्तानों के बीच नई नगरीय कल्पना पेश कर रहे हैं। नए नगरों का निर्माण अत्याधुनिक और आने वाले समय के अनुरूप होगा। आने वाले समय में सऊदी अरब एक प्रथम श्रेणी के पर्यटन केंद्र के साथ-साथ विश्व के प्रथम दर्जे के व्यावसायिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में भी उभरेगा। इसलिए हम देश की पूरी अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

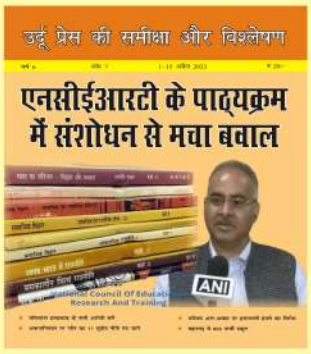

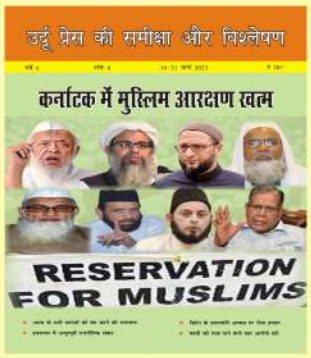

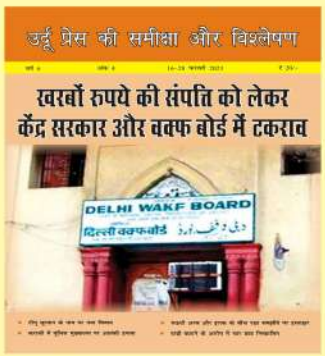

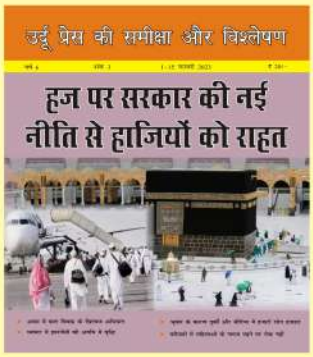

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in